

राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (19) वन/2022

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.1262 ha of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp Ltd Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage : 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village - 2 Dob, Tehsil - Suratgarh, District - Sri Ganganagar, Rajasthan (Proposal No. - FP/RJ/ROAD/140718/2021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 14(473/41)2021/एफसीए/प्रमुवसं/284 दिनांक 27.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Hindustan Petroleum Corporation Limited(प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Diversion of 0.1262 ha of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp Ltd Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage : 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village - 2 Dob, Tehsil - Suratgarh, District - Sri Ganganagar, Rajasthan (Proposal No. - FP/RJ/ROAD/140718/2021) हेतु 0.1262 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.03.2022 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान आपका पत्रांक 14(473/41)2021/एफसीए/प्रमुवसं/284 दिनांक 27.01.2025 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.1262 ha of forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Ltd for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp Ltd Retail Outlet on Suratgarh - Mile 80 Road between KM Stone No. 46-47 (Chainage : 46/002 - 46/037) RHS in At Murabba No 19, Pathhar No 4/37, Killa No 23, Village - 2 Dob, Tehsil - Suratgarh, District - Sri Ganganagar, Rajasthan (Proposal No. - FP/RJ/ROAD/140718/2021) की विधिवत स्वीकृति दो वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 14.03.2022 में वर्णित शर्तों की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
12. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय

(बीजो जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
5. उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर।
6. Hindustan Petroleum Corporation Limited, Jaipur, Retail Resign Office.
7. रक्षित पत्रावली।

Document certified by BIJO JOY
<Joybijo@gmail.com>

Digitally Signed by Bijo Joy
Designation: Special
Secretary To Government
Date: 12-02-2025 05:44:26

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या 0141-2327762

Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in